न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 621/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. कुम्भाराम पुत्र गंगाराम 2. शंकरलाल पुत्र गंगाराम 3. बाबूलाल पुत्र गंगाराम 4. श्रीमती मूमल पत्नि गंगाराम 5. नरूराम पुत्र फुलाराम सभी जातियान मेघवाल, निवासी– ग्राम खाबडा खुर्द तहसील ओसियॉ जोधपुर।		1. मोमताराम गोदपुत्र धूडाराम 2. लिखमाराम पुत्र गंगाराम 3. रेवतराम पुत्र फुलाराम जातियान मेघवाल, निवासी– ग्राम खाबडा खुर्द तहसील ओसियॉ जोधपुर। 4. तहसीलदार ओसियॉ।

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.10.2022 जो राजस्व प्रार्थना पत्र 152/2022 अनवान मोमताराम बनाम गंगाराम के वारिसान वगैराह में उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ ने पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री भवानीसिंह भलासरिया, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की ओर से।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19 जनवरी, 2023

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजा खाबडा खुर्द के खेत ख0सं0 1669 रकबा 07.1225 हैक्टर, ख0सं0 1669/5 रकबा 14.2854 हैक्टर, ख0सं0 1830 रकबा 0.9308 हैक्टर, ख0सं0 1830/2 रकबा 0.9308 हैक्टर आई है जिसके चारो तरफ पुराने कणा माठ है जिसके अन्दर रेस्पो0 संख्या एक काबिज है। रेस्पो0 की उक्त खातेदारी भूमि में अपीलान्ट नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने की नियत रखते है तथा रेस्पो0 संख्या एक को उक्त भूमि की पैमाइश द्वारा बताये गये कणा माठ पर रेस्पो0 संख्या 1 को पत्थरगढी नहीं करने दे रहे है तथा कब्जा करने पर आमदा है तथा दोनों पक्षों के बीच में विवाद बना रहता है इसलिये पत्थरगढी की जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को बिना सुने ही रेस्पो0सं0 एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का दिनांक 18.10.2022 को आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्टस के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है तथा अपीलार्थीगण को अपना पक्ष रखने व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया जो धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है। रेस्पो0 संख्या एक द्वारा राजस्व रेकर्ड में मात्र

आयुक्त

तरमीम गलत होने का नाजायज फायदा उठाते हुए उक्त गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त ऑनलाईन नक्शें में की गई गलत तरमीम के आधार पर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में मौका तरमीम की कार्यवाही किये बिना ही तथा तरमीम की रिपोर्ट के बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इस विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रकरण दर्ज होने की जानकारी थी, अपीलान्ट की तरफ से एक प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती हेतु अन्तर्गत धारा 131, 136 का पेश कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अलग–अलग वाद, अपीले अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें नामा0 अपील संख्या 6/2022 गंगाराम बनाम मोमताराम पेश हो रखी है जिसमें स्थगन पारित हो रखा है जिसमें नामा0 संख्या 212 जो आपसी विभाजन का था, उस आपसी विभाजन को पूर्व खसरा नम्बरों की पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश दे रखे है व एक वाद प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा पेश कर रखा है जिसमें भी स्थगन जारी हो रखा है। जिनकी जानकारी होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वार आलौच्य आदेश पारित किया है, वह अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी आदेशिका में अपीलार्थी को विधिवत रूप से जवाब पेश करने का किसी प्रकार का अन्तिम अवसर नहीं दिया गया है, जो आदेशिका दिनांक 18.12.2022 को देखने से ही प्रतीत होता है जो न्यायिक आदेश नहीं होकर प्रशासनिक आदेश है। उक्त खसरान भूमि सहखातेदारी की भूमि थी जिसका बंटवाडा होकर अलग–अलग हिस्सा दर्ज हुए व नजरी नक्शा बनाया गया परन्तु नजरी नक्शा मौका व नाप अनुसार नहीं बनाया गया जिसमें अपीलार्थीगण की ढाणियां रेस्पो0 मोमताराम के खेत में रह गई। रेस्पो0 संख्या एक मोमताराम के द्वारा भी एक दावा धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर रखा है। ऐसे में नियमित वाद के निर्णय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जानी थी। रेस्पो0 पत्थरगढी की की आड में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। मौके की तरमीम भी सही नहीं की गई जबकि मौके अनुसार तरमीम की जानी चाहिये थी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2022 को अपास्त व निरस्त किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में फार्म नं. 3 के साथ दस्तावेज अवलोनार्थ पेश किये।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट. का इस आशय का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजा खाबडा खुर्द के खेत ख0सं0 1669 रकबा 07.1225 हैक्टर, ख0सं0 1669/5 रकबा 14.2854 हैक्टर, ख0सं0 1830 रकबा 00.9308 हैक्टर, ख0सं0 1830/2 रकबा 00.9308 हैक्टर उनकी खातेदारी की भूमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है तथा भूमि के चारो तरफ पुराने कणा माठ है जिसके अन्दर रेस्पोडेन्टस काबिज है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा भूमि की पैमाइश करवा कर चिन्हित स्थान पर

तसहीलदार ओसियॉ से भूमि पैमाइश करवाने का आदेश प्राप्त कर भूमि की दिनांक 15.5.2022 को पैमाइश करवाई। तथा भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर सकते है। अतः पत्थरगगढी किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 सं0 एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.10.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट व अन्य पक्षकारान को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु उनके द्वारा अपना जवाब पेश नहीं किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.22 को जवाब बन्द करते हुए अन्तिम बहस सुनी जाकर अन्तिम आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनकी खातेदारी की खेत ख0सं0 1669 रकबा 07.1225 हैक्टर, ख0सं0 1669/5 रकबा 14.2854 हैक्टर, ख0सं0 1830 रकबा 00.9308 हैक्टर, ख0सं0 1830/2 रकबा 00.9308 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया है जो उचित होने से यथावत बहाल रखा जावें। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया था तो उनकी ओर से अधिनस्थ न्यायालय में उक्त तथ्य पेश करते।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त खसरान भूमि की पैमाइश सभी काश्तकारान की उपस्थिति में सम्पादित की गई थी तथा पूर्व में उक्त वादग्रस्त भूमि का वर्ष 2013 में काश्तकारान की सहमति से भूमि का बंटवाडा हुआ था उसी के अनुरूप रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पत्थरगढी हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था, इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो रखी नामा0 अपील का पत्थरगढी कार्यवाही से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है, दोनों अलग–अलग प्रकिया है। अपीलान्ट के द्वारा पत्थरगढी कार्यवाही को रोकने के उद्देश्य से विवाद बढाना चाहते है। अपीलान्ट के द्वारा खसरान भूमि की की गई ऑनलाईन तरमीम गलत होने के आरोप के आधार पर पत्थरगढी कार्यवाही रूकवाना चाहते है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, पारित निर्णय, इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि फर्द सीमांकन दिनांक 15.05.2022 में न तो मोमिया ट्रेस का जिक्र है एवं न ही पुख्ता बिन्दूओं का हवाला दिया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को सूचित किये जाने सम्बन्धी या उनकी उपस्थिति का भी फर्द सीमांकन में कोई हवाला नहीं है। इसी फर्द सीमांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी का एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा विवादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरूस्ती हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित होना प्रतिवेदित किया है व इस भूमि के सम्बन्ध में वाद भी विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने का उल्लेख किया है। उक्त

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त

को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, दस्तावेजात का विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.10.2022 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित वाद एवं तरमीम सम्बन्धी प्रार्थना पत्र के विधिवत निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। निर्णय आज दिनांक 19 जनवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर